05.06.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं किया; जवाब बंद किया जाता है। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थीया के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी। तथा प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाते हैं कि मूल वाद के फैसले तक मौजा नागरिया पंचेला के जमाबंदी खाता सं. 212 के खं.सं. 1469/910 खेत किता 1 कुल रकबा 0.6475 हैक्ट. भूमि में अतिक्रमण, निर्माण न तो स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। प्रार्थीया को काश्त करने में रुकावट पैदा न करें न अन्य किसी से करावें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा